

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, झारखण्ड राँची।

आरोप पत्रित सरकारी सेवकों की सूची माह- जुन-2016 तक

क्र०सं०	निगरानी थाना काण्ड संख्या, तिथि एवं धारा	संबंधित विभाग	अभियुक्तों का नाम एवं पदनाम
1.	निगरानी थाना काण्ड सं०-16/16, दिनांक-02.03.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ० नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 1,500/-	प्राथमिकी अभियुक्त सुरेन्द्र पासवान उर्फ सुरेन्द्र कुमार (उम्र-48 वर्ष), पिता-स्व० ब्रह्मदेव प्रसाद, सा०-सुरजपुर बड़गाँव, थाना+जिला-नालंदा (बिहार)। वर्तमान-पत्राचार लिपिक, विद्युत अवर प्रमंडल कार्यालय, कुडू, जिला-लोहरदगा। आरोप पत्र सं०- 45/16, दिनांक-07.06.2016
2.	निगरानी थाना काण्ड सं०-25/16, दिनांक-06.04.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ० नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 10,000/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री राजीव कुमार कण्ड, पिता-स्व० आद्या प्रसाद कंठ, ग्राम-रजनी वभनगाँवा, थाना-बिहारीगंज, जिला-मधेपुरा (बिहार)। वर्तमान किरानी, अंचल कार्यालय, बेड़ो, जिला-राँची। आरोप पत्र सं०- 44/16, दिनांक-06.06.2016
3.	निगरानी थाना काण्ड सं०-26/16 दिनांक-06.04.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ० नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 5,000/-	1. प्राथमिकी अभियुक्त श्री चन्द्रिका भगत उर्फ चंद्रिका बाबु, पिता-श्यामलाल प्रसाद, सा०+थाना-गोविन्दपुर, जिला- जमशेदपुर। 2. श्री भूषण कुमार, पिता-स्व० योगेन्द्र ठाकुर, सा०-गोपी नाथ टॉवर के फ्लैट नं०-2/बी०, थाना-बिष्टपुर, जमशेदपुर, जिला-पूर्वी सिंहभूम। (भूषण कुमार का निजी क्लर्क) दोनों अभियुक्तों पर आरोप पत्र सं०-42/16, दिनांक-03.06.2016
4.	निगरानी थाना काण्ड सं०-29/16, दिनांक-07.04.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 25,000/-	श्री मनोज कुमार राम, पिता-स्व० हरिकिशन राम, सा०-हरिजनटोला, नगर उँटारी, जिला-गढ़वा। वर्तमान-रोजगार सेवक, गम्हरिया पंचायत, अंचल-रमना, जिला-गढ़वा। आरोप पत्र सं०-43/16, दिनांक-06.06.2016
5.	निगरानी थाना काण्ड सं०-38/16, दिनांक-05.05.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	ट्रैप केस। 400/-	प्राथमिकी अभियुक्त गुरुचरण सिंह, पिता-स्व० छेदी सिंह, ग्राम+पो०-रबोधपुर, थाना-माण्डू, जिला-हजारीबाग। वर्तमान-पंचायत सेवक, ग्राम पंचायत- गौड़ा, प्रखण्ड-बरकट्टा, जिला-हजारीबाग। आरोप पत्र सं०-49/16, दिनांक-28.06.2016
6.	निगरानी थाना काण्ड सं०-36/16, दिनांक-02.05.2016, धारा-07/ 13(2) सह पठित	ट्रैप केस। 4,500/-	प्राथमिकी अभियुक्त श्री वीरेन्द्र साव (उम्र-51 वर्ष), पिता-विपत साव, सा०-गुडगुडा, थाना-पालकोट, जिला-गुमला। वर्तमान जनसेवक,

	धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988		खरका पंचायत, अंचल कार्यालय-गुमला। आरोप पत्र सं०-48/16, दिनांक-29.06.2016
7.	निगरानी थाना काण्ड सं०- 04/14, दिनांक-04.03.2014, धारा-07/ 13(2) सह पठित धारा-13(1)(ई०), भ०नि० अधि०-1988	डी०ए० केस प्राथमिकी अभियुक्त श्री प्रेमनाथ साह, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग-2 के विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने के आरोप में निगरानी ब्यूरो पी०ई० जाँच सं० आर- 127/जाँच, दिनांक-21.08. 2013 के जाचोपरान्त दर्ज है।	श्री प्रेमनाथ साह, पे०-श्यामदेव साह, कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग-प्पूए राँची तथा स्थायी पता- ग्राम-रेपुरा, थाना-मढ़ौरा, जिला- सारण (बिहार)। आरोप पत्र सं०-46/16, दिनांक-13.06.2016
8.	निगरानी थाना काण्ड सं०- 33/16, दिनांक-25.04.2016, धारा-07/13(2) सह पठित धारा-13(1)(डी), भ०नि० अधि०-1988	ट्रेप केस। 4,000/-	श्री उमेश प्रसाद चौधरी (उम्र-53 वर्ष), पे०-स्व० गोविन्द चौधरी, सा०-मीर सम्मन, थाना- सुल्तानगंज, जिला- भागलपुर (बिहार), वर्तमान बड़ा बाबू, जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय, लातेहार। आरोप पत्र सं०-47/16, दिनांक-20.06.2016

नोट:- अपराध शाखा में दिनांक-03.08.2016 तक के प्राप्त आरोप पत्रों के अनुसार माह जुन-2016 में आरोप पत्रित काण्डों की सूची ऊपर अंकित है। परंतु यह भी सम्भव है कि माह जुन में कुछ और काण्डों में आरोप पत्र समर्पित किया गया हो, परन्तु अभी तक अपराध शाखा में आरोप पत्र अनु०कर्त्ताओं द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया हो। अतः इस संबंध में निगरानी थाना से स्पष्ट स्थिति की जानकारी ली जा सकती है।